राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह आर0ए0एस0

नम्बर अहकाम हुक्म में

संख्या :– 33/2021 प्रा.पत्र

बलवानसिंह पुत्र श्रीचन्द जाट नि० साकेत कॉलोनी तह.बदनोर व अन्य

प्रार्थी.......

बनाम

ईश्वर सिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत नि० फ.कोलिया तह० करेडा, जिला भीलवाडा व अन्य

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 06/7/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत दन किया कि ग्राम फ.कोलिया पटवार हल्का त्रिताम्बा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त की खाता संख्या 148 आराजी नम्बर 877/1, 880/1, 882/2, 882/3, 895 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913 कुल रकबा 3.2504 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी या के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी ाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02/7/2021 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को नार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते र्गेक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ...कोलिया... पटवार हल्का त्रिताम्बा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या जी नम्बर 877/1, 880/1, 882/2, 882/3, 895 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913 कुल किता 23 ...2504 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी ने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक त्रिताम्बा को 850/– रुपये कमिश्नर फीस पर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की [illegible] रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को नकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 16:25:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखंड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

:– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा